भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1439
12 दिसम्बर, 2023 को उत्तरार्थ

विषय: किसानों की आय दोगुनी करना

1439. श्री पी.आर.नटराजनः
कुंवर दानिश अलीः

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का किसानों की आय दोगुनी करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) वर्ष 2016 से किसानों की आय में वृद्धि का वर्ष-वार और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि कोई वृद्धि नहीं हुई है, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) सरकार द्वारा किसानों की आय दोगुनी करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(ड.) सरकार कब तक किसानों की आय दोगुनी कर देगी?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री अर्जुन मुंडा)

(क) से (ड.): सरकार ने "किसानों की आय दोगुनी करने (डीएफआई)" से संबंधित मुद्दों की जांच करने और इसे हासिल करने के लिए रणनीतियों की सिफारिश करने के लिए अप्रैल, 2016 में एक अंतर-मंत्रालयी समिति का गठन किया था। समिति ने सितंबर, 2018 में सरकार को अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंपी जिसमें विभिन्न नीतियों, सुधारों और कार्यक्रमों के माध्यम से किसानों की आय दोगुनी करने की सिफारिशें शामिल थीं। उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, समिति ने आय वृद्धि के निम्नलिखित सात स्रोतों की पहचान की:

i. फसल उत्पादकता में वृद्धि
ii. पशुधन उत्पादकता में वृद्धि
iii. संसाधन उपयोग दक्षता - उत्पादन लागत में कमी
iv. फसल गहनता में वृद्धि
v. उच्च मूल्य वाली कृषि में विविधीकरण
vi. किसानों की उपज पर लाभकारी मूल्य
vii. अतिरिक्त जनशक्ति का कृषि से गैर-कृषि व्यवसायों में स्थानांतरण

कृषि राज्य का विषय होने के कारण, राज्य सरकारें राज्यों में कृषि के विकास और किसानों के कल्याण के लिए उचित उपाय करती हैं। हालाँकि, भारत सरकार उचित नीतिगत उपायों और बजटीय सहायता और विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के माध्यम से राज्यों के प्रयासों में सहायता करती है और किसानों के कल्याण को बढ़ावा देती है। वर्ष 2013-14 में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अभिन्न अंग सहकारिता मंत्रालय, पशुपालन एवं डेयरी विभाग और मत्स्य पालन विभाग का बजट आवंटन केवल 30,223.88 करोड़ था। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय का बजट 2023-24 में 1,25,035.79 करोड़ रुपये है।

सरकार के निम्नलिखित प्रयासों को सुविधाजनक बनाने के लिए उन्नत बजटीय में वृद्धि की है। भारत सरकार की विभिन्न योजनाएँ/कार्यक्रम किसानों के उत्पादन, लाभकारी प्रतिफल और आय सहायता में वृद्धि करके किसानों के कल्याण के लिए हैं, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

1. पीएम किसान के माध्यम से किसानों को आय सहायता
2. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई)
3. कृषि क्षेत्र के लिए संस्थागत ऋण
4. उत्पादन लागत का डेढ़ गुना न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) तय करना
5. देश में जैविक खेती को बढ़ावा देना

6. प्रति बूंद अधिक फसल
7. सूक्ष्म सिंचाई कोष
8. किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) को बढ़ावा देना
9. राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन (एनबीएचएम)
10.कृषि यंत्रीकरण
11.किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध कराना
12.राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-नाम) विस्तार मंच की स्थापना
13. राष्ट्रीय खाद्य तेल - ऑयल पाम मिशन का शुभारंभ
14.कृषि अवसंरचना कोष (एआईएफ)
15.कृषि उपज रसद में सुधार, किसान रेल की शुरूआत।
16. समेकित बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) - क्लस्टर विकास कार्यक्रम:
17.कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र में स्टार्ट-अप इको सिस्टम का निर्माण
18.कृषि एवं संबद्ध कृषि वस्तुओं के निर्यात में उपलब्धि

उपर्युक्त योजनाओं से हुए लाभ नीचे सारांश में दिए गए हैं-

1. पीएम किसान के माध्यम से किसानों को आय सहायता

वर्ष 2019 में पीएम-किसान का शुभारंभ - यह 3 समान किस्तों में प्रति वर्ष 6000 रुपये प्रदान करने वाली आय सहायता योजना है। दिनांक 30.11.2023 तक 11 करोड़ से अधिक किसानों को 2.81 लाख करोड़ रुपये से अधिक जारी किए गए हैं।

2. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई)

सात वर्षीय (अनंतिम) - किसानों के लिए उच्च प्रीमियम दरों और कैपिंग के कारण बीमा राशि में कमी की समस्याओं का समाधान करते हुए वर्ष 2016 में पीएमएफबीवाई को लॉन्च किया गया था। कार्यान्वयन के पिछले 7 वर्षों में - 49.44 करोड़ किसान आवेदन नामांकित हुए और 14.06 करोड़ से अधिक (अनंतिम) किसान आवेदकों को 1,46,664 करोड़ रुपये से अधिक के दावे प्राप्त हुए हैं। इस अवधि के दौरान किसानों द्वारा अपने हिस्से के प्रीमियम के रूप में लगभग 29,183 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया, जिसकी तुलना में उन्हें 1,46,664 करोड़ रुपये (अनंतिम) से अधिक दावों का भुगतान किया गया है। इस प्रकार किसानों द्वारा भुगतान किए गए प्रत्येक 100 रुपये के प्रीमियम के लिए, उन्हें दावों के रूप में लगभग 502 रुपये प्राप्त हुए हैं।

डिजीक्लेम- दावों की गणना और भुगतान में पारदर्शिता लाने के लिए और इन दावों को सीधे किसान के खाते में दावा भुगतान मॉड्यूल पीएफएमएस प्लेटफॉर्म का उपयोग करके राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल (एनसीआईपी) के माध्यम से अंतरित किया जा रहा है। यह पहल खरीफ 2022 मौसम के दावों के भुगतान के लिए 23 मार्च, 2023 को शुरू की गई है। सभी दावों का भुगतान अब बीमा कंपनियों द्वारा डिजीक्लेम के माध्यम से सीधे किसानों के खाते में किया जाता है।

3. कृषि क्षेत्र के लिए संस्थागत ऋण

i. वर्ष 2013-14 में 7.3 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 20 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है।
ii. पशुपालन एवं मात्स्यिकी किसानों को उनकी अल्पकालिक कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वार्षिक 4% ब्याज पर केसीसी के माध्यम से रियायती संस्थागत ऋण का लाभ भी दिया गया है।
iii. किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के माध्यम से सभी पीएम-किसान लाभार्थियों को शामिल करने पर ध्यान केंद्रित करने के साथ रियायती संस्थागत ऋण प्रदान करने के लिए फरवरी 2020 से विशेष अभियान चलाया गया है। दिनांक 20.10.2023 तक, अभियान के हिस्से के रूप में **5,47,819** करोड़ रुपये की स्वीकृत क्रेडिट सीमा के साथ 482.73 लाख नए केसीसी आवेदनों को मंजूरी दी गई है।

4. न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को उत्पादन लागत का डेढ़ गुना निर्धारित करना -

i. सरकार ने वर्ष 2018-19 से सभी अधिदेशित खरीफ, रबी और अन्य वाणिज्यिक फसलों के लिए उत्पादन की अखिल भारतीय भारित औसत लागत पर कम से कम 50 प्रतिशत प्रतिफलन के साथ एमएसपी में वृद्धि की है।

ii. धान (सामान्य) के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य वर्ष 2013-14 में 1310 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 2183 रुपये प्रति क्विंटल हो गया है।

iii. गेहूं का एमएसपी वर्ष 2013-14 में 1400 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर वर्ष 2023-24 में 2175 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया।

5. देश में जैविक खेती को बढ़ावा देना

i. देश में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2015-16 में परंपरागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) शुरू की गई थी। 32,384 क्लस्टर का गठन किया गया है और 6.53 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया गया है, जिससे 16.19 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं। इसके अलावा, नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत 1.23 लाख हेक्टेयर क्षेत्र और प्राकृतिक खेती के तहत 4.09 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया गया।

ii. सरकार भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति (बीपीकेपी) योजना के माध्यम से सतत प्राकृतिक कृषि प्रणालियों को बढ़ावा देने का भी प्रस्ताव रखती है। प्रस्तावित योजना का उद्देश्य खेती की लागत में कमी करना, किसानों की आय बढ़ाना हैं और संसाधन संरक्षण व सुरक्षित और स्वस्थ मृदा, पर्यावरण और भोजन सुनिश्चित करना है।

iii. पूर्वोत्तर क्षेत्र जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन (एमओवीसीडीएनईआर) लॉन्च किया गया है। 189039 किसानों को शामिल करके 1,72,966 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करते हुए 379 किसान उत्पादक कंपनियों का गठन किया गया है।

6. प्रति बूंद अधिक फसल:

प्रति बूंद अधिक फसल (पीडीएमसी) योजना वर्ष 2015-16 में शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य सूक्ष्म सिंचाई प्रौद्योगिकियों अर्थात ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणालियों के माध्यम से जल उपयोग दक्षता में वृद्धि करना, इनपुट की लागत को कम करना और कृषि स्तर पर उत्पादकता में वृद्धि करना है। वर्ष 2015-16 से पीडीएमसी योजना के माध्यम से अब तक 81.87 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को सूक्ष्म सिंचाई के तहत कवर किया गया है और 18,893.74 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता जारी की गई है।

7. सूक्ष्म सिंचाई कोष:

नाबार्ड के साथ 5,000 करोड़ रुपये की प्रारंभिक कॉर्पस निधि का एक सूक्ष्म सिंचाई कोष बनाया गया है। वर्ष 2021-22 की बजट घोषणा में कोष की निधि बढ़ाकर 10,000 करोड़ रुपये की जानी है। अब तक 4,710.96 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को अनुमोदन दिया गया है।

8. किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) को बढ़ावा देना

i. माननीय प्रधानमंत्री द्वारा दिनांक 29 फरवरी, 2020 को वर्ष 2027-28 तक 6,865 करोड़ रुपये के बजट परिव्यय के साथ नए 10,000 एफपीओ के गठन और संवर्धन हेतु एक नई केंद्रीय क्षेत्र योजना शुरू की गई है।

ii. दिनांक 31.10.2023 तक इस योजना के तहत 7,476 नई एफपीओ एफपीओ को पंजीकृत किया गया है।

iii. 2,663 एफपीओ को 113.68 करोड़ रुपये का इक्विटी अनुदान जारी किया गया है।

iv. 918 एफपीओ को 213.82 करोड़ रुपये का क्रेडिट गारंटी कवर जारी किया गया है।

9. राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन (एनबीएचएम) को वर्ष 2020 में आत्मनिर्भर भारत अभियान के हिस्से के रूप में 500.00 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ 3 वर्षों की अवधि अर्थात 2020-21 से 2022-23 के लिए शुरू किया गया था और इस योजना को आवंटित बजट 500.00 करोड़ रुपये में से उपलब्ध बजट

370.00 करोड़ रुपये के साथ वैज्ञानिक मधुमक्खी पालन के समग्र प्रचार और विकास और "मीठी क्रांति" के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तीन वर्षों अर्थात् 2023-24 से 2025-26 के लिए बढ़ा दिया गया है।

10. कृषि यंत्रीकरण

कृषि को आधुनिक बनाने और कृषि कार्यों की कठिनाई को कम करने के लिए कृषि यंत्रीकरण अत्यंत महत्वपूर्ण है। वर्ष 2014-15 से मार्च, 2023 की अवधि के दौरान कृषि यंत्रीकरण के लिए 6405.55 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है। सब्सिडी पर किसानों को 15,23,650 मशीनें और उपकरण प्रदान किए गए हैं। किसानों को किराये पर कृषि मशीनों और उपकरणों को उपलब्ध कराने के लिए 23,018 कस्टम हायरिंग सेंटर, 475 हाई-टेक हब और 20,461 फार्म मशीनरी बैंक स्थापित किए गए हैं। वर्ष 2023-24 के दौरान, 37937 कृषि मशीनरी के वितरण के लिए, 1916 कस्टम हायरिंग केंद्रों हेतु 41 हाईटेक केंद्रों और 82 कृषि मशीनरी बैंकों की स्थापना के लिए राज्यों को 252.39 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।

11. नमो ड्रोन दीदी:

सरकार ने हाल ही में 1261 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ वर्ष 2024-25 से 2025-26 की अवधि के लिए महिला स्व-सहायता समूह (एसएचजी) को ड्रोन प्रदान करने के लिए केंद्रीय क्षेत्र योजना को मंजूरी दी है। इस योजना का लक्ष्य कृषि प्रयोजन (उर्वरकों और कीटनाशकों के अनुप्रयोग) के लिए किसानों को किराये पर ड्रोन की सेवाएं प्रदान करने के लिए 14500 चयनित महिला स्व-सहायता समूह (एसएचजी) को ड्रोन प्रदान करना है। इस योजना के तहत, ड्रोन की खरीद के लिए महिला एसएचजी को ड्रोन की लागत का 80% और सहायक उपकरण/सहायक शुल्क हेतु अधिकतम 8.0 लाख रुपये तक केंद्रीय वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। एसएचजी के क्लस्टर लेवल फेडरेशन (सीएलएफ) राष्ट्रीय कृषि अवसंरचना वित्त पोषण सुविधा (एआईएफ) के तहत ऋण के रूप में शेष राशि (खरीद की कुल लागत घटाकर सब्सिडी) बढ़ा सकते हैं। सीएलएफ को एआईएफ ऋण पर 3% की दर से ब्याज छूट प्रदान की जाएगी। यह योजना किसानों के लाभ के लिए बेहतर दक्षता, उगाई गई फसल उपज और संचालन की कम लागत के लिए कृषि में उन्नत प्रौद्योगिकी को शामिल करने में मदद करेगी। यह योजना एसएचजी को सतत व्यवसाय और आजीविका सहायता भी प्रदान करेगी तथा वे प्रति वर्ष कम से कम 1.0 लाख रुपये की अतिरिक्त आय अर्जित करने में सक्षम होंगे।

12. किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड प्रदान करना

पोषक तत्वों के इष्टतम उपयोग के लिए वर्ष 2014-15 में मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना शुरू की गई थी। किसानों को निम्नलिखित संख्या में कार्ड जारी किए गए हैं-

i. चरण-I (2015 से 2017) - 10.74 करोड़
ii. चरण-II (2017 से 2019) - 12.19 करोड़
iii. आदर्श ग्राम कार्यक्रम (2019-20) - 23.71 लाख
iv. वर्ष 2020-21 में- 11.52 लाख

13. ई-नाम विस्तार प्लेटफार्म की स्थापना

i. ई-नाम प्लेटफॉर्म के साथ 23 राज्यों और 04 संघ राज्य क्षेत्रों की 1389 मंडियों को जोड़ा गया है। अतिरिक्त 27 मंडियों को ई-नाम के साथ एकीकृत किया गया है जिसमें जम्मू-कश्मीर (6) मध्य प्रदेश (3) महाराष्ट्र (14) उत्तराखंड (4) शामिल हैं।

ii. दिनांक 30.11.2023 तक, 1.76 करोड़ किसानों और 2,50,915 व्यापारियों को ई-नाम पोर्टल पर पंजीकृत किया गया है। ई-नाम प्लेटफॉर्म पर कुल 8.75 करोड़ मीट्रिक टन और 30.12 करोड़ (बांस, पान के पत्ते, नारियल, नींबू और स्वीट कॉर्न) का कुल मिलाकर लगभग 3.10 लाख करोड़ रुपये का व्यापार दर्ज किया गया है।

14. राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन- ऑयल पाम मिशन की शुरुआत

अगस्त, 2021 के दौरान नई केंद्रीय प्रायोजित योजना नामतः राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन (एनएमईओ)-ऑयल पाम (एनएमईओ-ओपी) शुरू किया गया जिसका उद्देश्य ऑयल पाम क्षेत्र के विस्तार का उपयोग करके देश में खाद्य तेलों की उपलब्धता को बढ़ाना, सीपीओ उत्पादन में वृद्धि करना और खाद्य तेल के संबंध में आयात का बोझ कम करना है। इस मिशन के तहत वर्ष 2021-22 से वर्ष 2025-26 तक अगले 5 वर्षों में 11,040 करोड़ रूपये के कुल परिव्यय के साथ ऑयल पाम वृक्षारोपण के अंतर्गत 6.5 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र शामिल किया जाएगा, जिसमें पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 3.28 लाख हेक्टेयर और शेष भारत के लिए 3.22 हेक्टेयर क्षेत्र होगा।

15. कृषि अवसंरचना कोष

देश में एक लाख करोड़ रुपये की कृषि अवसंरचना कोष (एआईएफ) योजना को देश में कृषि अवसंरचना में सुधार करने हेतु प्रोत्साहन और वित्तीय सहायता के माध्यम से फसलोपरांत प्रबंधन अवसंरचना और सामुदायिक कृषि संपत्तियों के लिए व्यवहार्य परियोजनाओं में निवेश के लिए एक मध्यम-दीर्घकालिक ऋण वित्तपोषण सुविधा जुटाने के उद्देश्य से शुरू किया गया था।

16. कृषि उपज संभार तंत्र में सुधार, किसान रेल की शुरूआत।

किसान रेल को रेल मंत्रालय द्वारा शीघ्र खराब होने वाली कृषि बागवानी वस्तुओं की आवाजाही को आसान करने के लिए शुरू किया गया है। पहली किसान रेल जुलाई 2020 में शुरू की गई थी। दिनांक 28 फरवरी 2023 तक 167 रूटों पर 2359 सेवाएं संचालित की गई हैं।

17. एमआईडीएच- कलस्टर विकास कार्यक्रम

वर्ष 2014-15 से 2023-24 तक (दिनांक 03.10.2023 तक) एमआईडीएच की एनएचएम/एचएमएनईएच योजना के प्रमुख घटक के तहत वास्तविक प्रगति का विवरण निम्नानुसार है:

- क्षेत्र विस्तारः- चिन्हित बागवानी फसलों के 12.95 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र को कवर किया गया है।
- पौधशालाएँ:- गुणवत्तापूर्ण पौध सामग्री के उत्पादन हेतु 872 पौधशालाएँ स्थापित की गई हैं।
- पुनरूद्धार:- पुराने और जीर्ण बागानों के 1.41 लाख हेक्टेयर क्षेत्र का कायाकल्प किया गया है।
- जैविक खेती:- जैविक पद्धतियों के तहत 52069 हेक्टेयर क्षेत्र कवर किया गया है।
- संरक्षित खेती:- संरक्षित खेती के तहत 3.07 लाख हेक्टेयर क्षेत्र कवर किया गया है।
- जल संसाधनः- 49979 जल संचयन अवसंरचनाओं का निर्माण किया गया है।
- मधुमक्खी पालन:- छत्तों सहित 15.92 लाख मधुमक्खी कालोनियों का वितरण किया गया है।
- बागवानी यंत्रीकरण:- 2.60 लाख बागवानी यंत्रीकरण उपकरण वितरित किए गए हैं।
- फसलोपरांत प्रबंधन अवसंरचना: - 1.14 लाख फसलोपरांत प्रबंधन इकाईयों की स्थापना की गई है।
- मंडी अवसरंचना:- 14349 मंडी अवसरंचना स्थापित की गई हैं।
- किसानों का प्रशिक्षण:- मानव संसाधन विकास के तहत 9.11 लाख किसानों को विभिन्न बागवानी गतिविधियों के तहत प्रशिक्षित किया गया है।

18. कृषि और संबद्ध क्षेत्र में स्टार्ट-अप व्यवस्था का निर्माण

वित्तीय वर्ष 2019-20 से 2023-24 के दौरान अब तक 1259 स्टार्ट-अप्स को विभिन्न नॉलेज पार्टनर्स (केपी) और एग्रीबिजनेस इन्क्यूबेटर्स (आर-एबीआई) द्वारा चुना गया है। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के आरकेवीवाई कृषि-स्टार्टअप कार्यक्रम के तहत इन स्टार्ट-अप्स के वित्त पोषण के लिए संबंधित केपी और आर-एबीआई को किश्तों में सहायता अनुदान के रूप में 83.67 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।

19. कृषि एवं संबद्ध कृषि वस्तुओं के निर्यात में उपलब्धि

देश में कृषि और संबद्ध वस्तुओं के निर्यात में जबरदस्त वृद्धि देखी गई है। वर्ष 2020-21 की तुलना में कृषि एवं संबद्ध वस्तुओं का निर्यात 2020-21 के 41.86 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर वर्ष 2021-22 में 50.24 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है, अर्थात इस प्रकार 19.99% की वृद्धि हुई है।

इसके अतिरिक्त, डेयर, जो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय का एक हिस्सा है, ने ऐसी योजनाएं कार्यान्वित की हैं जिनसे किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में उल्लेखनीय परिणाम मिले हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) ने एक पुस्तक जारी की है, जिसमें असंख्य सफल किसानों में से 75,000 किसानों की सफलता की कहानियों का संकलन है, जिन्होंने अपनी आय दोगुना से अधिक बढ़ा ली है।

वर्ष 2022-23 में देश में किसानों के कल्याण पर खर्च की गई राशि कई गुना बढ़ गई है अर्थात अकेले इसी वर्ष 6.5 लाख करोड़ रूपए खर्च किए गए हैं। किसानों के कल्याण के लिए कृषि और संबद्ध क्षेत्रों पर वर्ष 2022-23 के दौरान केंद्र सरकार द्वारा संशोधित अनुमान के अनुसार खर्च का विवरण इस प्रकार है;

व्यय की मद	**धनराशि (रुपये करोड़ में)**
उर्वरक सब्सिडी	225220
खाद्य सब्सिडी	287194
कृषि और संबद्ध गतिविधियाँ (पीएम-किसान को छोड़कर)	76279
पीएम-किसान	60000
कुल	648693

* संशोधित अनुमान 2022-23

इसके अलावा, भारत सरकार के अन्य मंत्रालयों और विभागों द्वारा वर्ष 2022-23 (स.अ. 2022-23) के दौरान कई योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं जहां अधिकांश लाभार्थी किसान हैं

क्र.सं.	**विभाग/योजना**	**मात्रा (रुपये करोड़ में)**
1	**ग्रामीण विकास विभाग**	
i	प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई)	48,422
ii	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई)	19,000
iii	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम (मनरेगा)	89400
iv	राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (पेंशन)	9,652
v	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम)	13336.42
2	**जल शक्ति मंत्रालय**	
i	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई)	7084.50
ii	जल जीवन मिशन/राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	54808.87
3	**मत्स्य पालन विभाग**	1624.18
4	**पशुपालन एवं डेयरी विभाग**	3105.17
	कुल	2,46,433.14

कृषि क्षेत्र के संबद्ध क्षेत्रों का गठन करने वाले मंत्रालयों और उनकी उपलब्धियाँ नीचे दी गई हैं:

I. सहकारिता मंत्रालय **अनुबंध-I** पर है
II. पशुपालन एवं डेयरी विभाग **अनुबंध- II** पर है
III. मत्स्य पालन विभाग **अनुबंध-III** पर है

सहकारिता मंत्रालय

क. प्राथमिक सहकारी समितियों को आर्थिक रूप से जीवंत और पारदर्शी बनाना

1. **पैक्स के लिए मॉडल उपनियम इन्हें बहुउद्देशीय, बहुआयामी और पारदर्शी संस्था बनाते हैं:** अब तक 31 राज्यों/ द्वारा मॉडल उपनियम अपनाए जा चुके हैं।
2. **कम्प्यूटरीकरण के माध्यम से पैक्स को सुदृढ़ करना:** इस परियोजना के तहत 28 राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों से कुल 62,318 पैक्स को संस्वीकृती दी गई है। सॉफ्टवेयर तैयार है और अब तक 26 राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों में 5,673 पैक्स में परीक्षण शुरू हो चुका है।
3. **शामिल नहीं की गई पंचायतों में नई बहुउद्देशीय पैक्स/डेयरी/मत्स्य पालन सहकारी समितियां:** जैसा कि राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा सूचित किया गया है, 23 राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों में 9,961 नए पैक्स/डेयरी/मत्स्य पालन सहकारी समितियों को पंजीकृत करने की प्रक्रिया विभिन्न चरणों में है।
4. **सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी विकेंद्रीकृत अनाज भंडारण योजना: 22** राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों और राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता महासंघ (एनसीसीएफ) और भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ लिमिटेड (नेफेड) जैसे राष्ट्रीय स्तर के सहकारी संघों ने पायलट प्रोजेक्ट के तहत भंडारण क्षमता के निर्माण के लिए 1,711 पैक्स की पहचान की है। वर्तमान में, पायलट प्रोजेक्ट के तहत 13 राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के 13 पैक्स में निर्माण कार्य चल रहा है।
5. **ई-सेवाओं तक बेहतर पहुंच के लिए सामान्य सेवा केंद्र (सीएससी) के रूप में पैक्स:** अब तक, 24,470 पैक्स ने ग्रामीण नागरिकों को सीएससी सेवाएं प्रदान करना शुरू कर दिया है, जिसके परिणामस्वरूप उन पैक्स की आय में भी वृद्धि होगी।
6. **पैक्स द्वारा नए किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) का गठन:** सरकार ने 1,100 अतिरिक्त एफपीओ बनाने की अनुमति दी है।
7. **खुदरा पेट्रोल/डीजल दुकानों के लिए पैक्स को प्राथमिकता:** सरकार ने खुदरा पेट्रोल/डीजल दुकानों के आवंटन के लिए पैक्स को संयुक्त श्रेणी **2** (सीसी**2**) में शामिल करने की अनुमति दी है। तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) से प्राप्त जानकारी के अनुसार, कुल 228 पैक्स ने खुदरा पेट्रोल/डीजल दुकानों के लिए ऑनलाइन आवेदन किया है।
8. **पैक्स को थोक उपभोक्ता पेट्रोल पंपों को खुदरा दुकानों में बदलने की अनुमति दी गई:** थोक उपभोक्ता पंप वाले **5** राज्यों के 109 ने खुदरा दुकानों में परिवर्तन के लिए सहमति दे दी है, जिनमें से 43 पैक्स को ओएमसी से इंटेन्ट (एलओआई) प्राप्त हो गया है।
9. **पैक्स अपनी गतिविधियों में विविधता लाने के लिए एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए पात्र हैं:** सरकार ने अब पैक्स को एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए आवेदन करने की अनुमति दे दी है।
10. **ग्रामीण स्तर पर जेनेरिक दवाओं की पहुंच में सुधार के लिए पीएम भारतीय जन औषधि केंद्र के रूप में पैक्स:** अब तक 4,289 पैक्स/सहकारी समितियों ने पीएम जन औषधि केंद्रों के लिए ऑनलाइन आवेदन किया है, जिनमें से 2,293 पैक्स को प्रारंभिक मंजूरी भी दे दी गई है।
11. **प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र (पीएमकेएसके) के रूप में पैक्स:** राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा साझा की गई जानकारी के अनुसार, अब तक 28,648 पैक्स पीएमकेएसके के रूप में कार्य कर रहे हैं।
12. **पैक्स स्तर पर पीएम-कुसुम का अभिसरण:** पैक्स से जुड़े किसान सौर कृषि जल पंप अपना सकते हैं और अपने खेतों में फोटोवोल्टिक मॉड्यूल स्थापित कर सकते हैं।
13. **ग्रामीण पाइप जलापूर्ति योजनाओं (पीडब्ल्यूएस) का ओएंडएम करने के लिए पैक्स:** राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, पंचायत/ग्राम स्तर पर ओएंडएम सेवाएं प्रदान करने के लिए 12 राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा 1,381 पैक्स की पहचान की गई है।
14. **घर के नजदीक वित्तीय सेवाएं प्रदान करने के लिए बैंक मित्र सहकारी समितियों को माइक्रो-एटीएम:** एक पायलट परियोजना के रूप में, गुजरात के पंचमहल और बनासकांठा जिलों में बैंक मित्र सहकारी समितियों को 1,723 माइक्रो-एटीएम वितरित किए गए हैं।
15. **दुग्ध सहकारी समितियों के सदस्यों को रुपये किसान क्रेडिट कार्ड:** एक पायलट परियोजना के रूप में, गुजरात के पंचमहल और बनासकांठा जिलों में **73,503** रुपये केसीसी वितरित किए गए हैं।
16. **मछली किसान उत्पादक संगठन (एफएफपीओ) का गठन:** एनसीडीसी ने प्रारंभिक चरण में 69 एफएफपीओ पंजीकृत किए हैं। भारत सरकार के मत्स्य पालन विभाग ने 225.50 करोड़ रुपये के अनुमोदित परिव्यय के साथ एनसीडीसी को 1000 मौजूदा मत्स्य सहकारी समितियों को एफएफपीओ में परिवर्तित करने का आवंटन किया है।

ख.शहरी और ग्रामीण सहकारी बैंकों को सुदृढ़ करना

17. **सहकारी बैंकों को वाणिज्यिक बैंकों की तरह बकाया ऋणों का एकमुश्त निपटान करने की अनुमति दी गई है:** सहकारी बैंक, बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीतियों के माध्यम से, अब तकनीकी राइट-ऑफ के साथ-साथ उधारकर्ताओं के साथ निपटान की प्रक्रिया भी प्रदान कर सकते हैं।
18. **आरबीआई द्वारा ग्रामीण और शहरी सहकारी बैंकों के लिए व्यक्तिगत आवास ऋण सीमा दोगुनी से अधिक की गई:**

    क. ग्रामीण सहकारी बैंकों की आवास ऋण सीमा ढाई गुना बढ़ाकर 75 लाख रुपये कर दी गई है।
19. **ग्रामीण सहकारी बैंक अब वाणिज्यिक रियल एस्टेट/आवासीय आवास क्षेत्र को ऋण देने में सक्षम होंगे, जिससे उनके व्यवसाय में विविधता आएगी:**
20. **सहकारी बैंकों के लिए लाइसेंस शुल्क घटाया गया।**

21.आरबीआई द्वारा गोल्ड लोन के लिए मौद्रिक सीमा दोगुनी की गई: आरबीआई ने उन यूसीबी के लिए मौद्रिक सीमा को 2 लाख रुपये से दोगुना कर 4 लाख रुपये कर दिया है जो पीएसएल लक्ष्यों को पूरा करते हैं।

पशुपालन एवं डेयरी

(i) राष्ट्रीय गोकुल मिशन (आरजीएम) गोवंश के दूध उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने और किसानों के लिए दूध उत्पादन को अधिक लाभकारी बनाने के लिए।

(ii) दूध और दूध उत्पादों की खरीद, प्रसंस्करण और विपणन के लिए डेयरी अवसंरचना निर्माण करने के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम।

(iii) पहली बार केसीसी योजना को पशुपालन क्षेत्र से जुड़े सभी किसानों के लिए विस्तारित किया गया है।

(iv) पशुपालन क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए 15000 करोड़ रुपये का पशुपालन अवसंरचना विकास कोष (एएचआईडीएफ)।

(v) राष्ट्रीय पशुधन मिशन छोटे जुगाली करने वालों की उत्पादकता बढ़ाने और पशुधन क्षेत्र में उद्यमिता विकास पर ध्यान केंद्रित कर रहा है।

(vi) पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण (एलएच और डीसी) पशु रोगों जैसे खुरपका और मुंहपका रोग, ब्रुसेलोसिस के नियंत्रण के लिए सहायता प्रदान करना और पशुधन के अन्य संक्रामक रोगों के नियंत्रण के लिए राज्य सरकारों को सहायता प्रदान करना। किसानों के घर के नजदीक गुणवत्तापूर्ण पशुधन स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए योजना के तहत मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयां स्थापित की गई हैं।

लो.स.अता.प्र.सं.1439

अनुबंध- III

मत्स्य पालन विभाग

1. मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी के लिए नए मंत्रालय का सृजन: मत्स्य पालन क्षेत्र की अपार संभावनाओं को पहचानते हुए और मछुआरों और मछली किसानों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए इस क्षेत्र के केंद्रित और समग्र विकास के लिए, भारत सरकार ने फरवरी, 2019 में मत्स्य पालन एक अलग विभाग बनाया और इसके बाद जून, 2019 में मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी का एक नया मंत्रालय बनाया गया।

2. मत्स्य पालन क्षेत्र में अब तक का सबसे अधिक निवेश: पिछले 9 वर्षों के दौरान, भारत सरकार ने मत्स्य पालन और जलीय कृषि क्षेत्र में निवेश बढ़ाया है। वर्ष 2015 से केंद्र सरकार ने 38,572 करोड़ रुपये के संचयी निवेश को मंजूरी दी है या घोषणा की है। इसमे शामिल है:

क) नीली क्रांति योजना के तहत 5,000 करोड़ रुपए का निवेश;

ख) 7,522 करोड़ रुपए मत्स्य पालन और एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड (एफआईडीएफ);

ग) प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत 20,050 करोड़ रुपए का निवेश;

घ) केंद्रीय बजट 2023-24 में पीएमएमएसवाई के तहत 6,000 करोड़ रुपये की उप-योजना की घोषणा की गई

प्रमुख योजना प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पीएमएमएसवाई) वित्त वर्ष 2020-21 से कार्यान्वयन में है और यह देश में मत्स्य पालन और जलीय कृषि क्षेत्र में अब तक का सबसे अधिक निवेश है।

3. रिकॉर्ड राष्ट्रीय मछली उत्पादन: पिछले 9 वर्षों के दौरान, भारत का वार्षिक मछली उत्पादन 95.79 लाख टन (वित्त वर्ष 2013-14 के अंत में) से बढ़कर 2022-23 में 175.45 लाख टन के सर्वकालिक रिकॉर्ड तक पहुंच गया है।

4. अंतर्देशीय और जलीय कृषि उत्पादन को दोगुना करना: अंतर्देशीय मत्स्य पालन और जलीय कृषि से मछली उत्पादन वित्त वर्ष 1950-51 में मात्र 2.18 लाख टन से बढ़कर वित्त वर्ष 2022-23 में 131.13 लाख टन हो गया है जो वित्त वर्ष 2013-14 के अंत में 61.36 लाख टन से वित्त वर्ष 2021-22 के अंत में से 121.12 लाख टन दोगुना हो गया है।

5. समुद्री भोजन निर्यात को दोगुना करना: भारतीय समुद्री भोजन 129 देशों में निर्यात किया जाता है, जिसमें सबसे बड़ा आयातक संयुक्त राज्य अमेरिका है। वास्तव में, वित्त वर्ष 2005-06 से 2013-14 की अवधि अर्थात वित्त वर्ष 2014-15 की अवधि से पहले के 9 वर्ष के लिए 1.20 लाख करोड़ रुपये की तुलना में वित्त वर्ष 2014-15 से वित्त वर्ष 2022-23 की 9 साल की अवधि के लिए संचयी निर्यात का मूल्य 3.41 लाख करोड़ रुपये था।

6. खारे पानी के जलीय कृषि उत्पादन को दोगुना करना: देश का झींगा उत्पादन वित्त वर्ष 2013-14 के अंत में 3.22 लाख टन से 267% बढ़कर वित्त वर्ष 2022-23 के अंत में 11.84 लाख टन (अनंतिम आंकड़े) दर्ज किया गया। इसी तरह, झींगा निर्यात वित्त वर्ष 2013-14 के अंत में 19,368 करोड़ रुपये से 123% की वृद्धि के साथ दोगुना से अधिक हो गया है और वित्त वर्ष 2022-23 के अंत में 43,135 करोड़ रुपये हो गया है।

7. सतत विकास दर और राष्ट्रीय सकल मूल्य वर्धित (जीवीए) और कृषि जीवीए में मत्स्य पालन क्षेत्र का बढ़ा हुआ योगदान: भारत में मत्स्य पालन क्षेत्र ने वित्त वर्ष 2014-15 से वित्त वर्ष 2021-22 तक (स्थिर कीमतों पर) 8 साल की अवधि के लिए 8.61% की निरंतर वार्षिक औसत वृद्धि दर दिखाई है। वित्त वर्ष 2014-15 से वित्त वर्ष 2021-22 तक आठ साल की अवधि के दौरान, मत्स्य पालन क्षेत्र का जीवीए वित्त वर्ष 2013-14 में 76,487 करोड़ रुपये से बढ़कर 1,47,518.87 करोड़ (स्थिर कीमतों पर) और वित्त वर्ष 2013-14 में 98,189.64 करोड़ रुपये से वित्त वर्ष 2021-22 में (मौजूदा कीमतों पर) 2,88,526.19 करोड़ हो गया है।

8. मछुआरों और मछली किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के माध्यम से संस्थागत ऋण: भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2018-19 से मछुआरों और मछली पालकों को उनकी कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करने के लिए केसीसी सुविधा प्रदान की। अब तक मछुआरों और मछली पालकों को 1.70 लाख केसीसी कार्ड जारी किये जा चुके हैं।

9. फिशिंग हार्बर (एफएच) और फिश लैंडिंग सेंटर (एफएलसी) में अवसंरचना के निर्माण पर ध्यान: पिछले 9 वर्षों के दौरान, भारत सरकार ने नीली क्रांति योजना, मत्स्य पालन और एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड (एफआईडीएफ); और प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के तहत 107 फिशिंग हार्बर और फिशिंग लैंडिंग सेंटर के निर्माण/आधुनिकीकरण के लिए परियोजना प्रस्तावों को मंजूरी दी है।

*****